न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 24 / 2023

1. सत्यनारायण पुत्र श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. गीता देवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. मुकेश पुत्र श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. सविता पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. महावीर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. कान्ता पत्नी लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. पवन पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. हनुमान पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. चेतन पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. दीपिका पुत्री लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. ज्वालाप्रसाद पुत्र शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. रामचन्द्र पुत्र सुखदेव जाति माली निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रोडू पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. सांवरलाल पुत्र दुर्गालाल जाति गुर्जर निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. लाली पत्नी मुकेश जाति माली निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. घीसू पुत्र देबी जाति धोबी निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.07.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी– श्री शिवकुमार जोशी अप्रार्थी संख्या 01,02
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 1059 में दर्ज खसरा नं. 1488 / 5983रकबा 0.02, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.07 कुल किता 03 कुल रकबा 0.17 हैक्ट, खाता संख्या 162 में दर्ज खसरा नम्बर 13 रकबा 0.39, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.24 कुल कुता 03 कुल रकबा 0.88 और खाता संख्या 1416 में दर्ज खसरा नम्बर 3752 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 3753 रकबा 0.42 कुल किता–02 कुल रकबा 0.85 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 07 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार जोशी द्वारा वकालतनामा पेश कर पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 की ओर से जवाब पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 07 को नियमानुसार सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 07 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 जरिये अप्रार्थी अभिभाषक जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 श्री शिवकुमार जोशी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1488/5983 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.08 और खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.07 पर लगभग 80 वर्षों से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02के कब्जे काश्त में है। इस दौरान प्रार्थीगणों तथा अप्रार्थीगणों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न न होकर अन्वरत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 का कब्जा बरकरार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0का0अधि0 को सव्यय खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस पुनः निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1488/5983 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.08 और खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.07 प्रार्थीगणों की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाना प्रार्थीगणों का कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढ़ी की जावे। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम भिनाय के खाता संख्या 1059, 162 और 1416 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 1059 में दर्ज खसरा नं. 1488/5983 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.07 कुल किता 03 कुल रकबा 0.17 हैक्ट, खाता संख्या 162 में दर्ज खसरा नम्बर 13 रकबा 0.39, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.24 कुल कुता 03 कुल रकबा 0.88 और खाता संख्या 1416 में दर्ज खसरा नम्बर 3752 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 3753 रकबा 0.42 कुल किता–02 कुल रकबा 0.85** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)